UPLK010222112023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 3781/2023

सरकार **बनाम** छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा

अ0सं0 90/2022
धारा–279,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–दुबग्गा, लखनऊ।

29–05–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा मय अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध 279, 323, 504 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 24–07–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010222112023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 3781/2023</u>

सरकार **बनाम** छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा

अ0सं0 90/2022
धारा–279,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–दुबग्गा, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 06.07.2022 समय 10.30 पी0एम0 थाना दुबग्गा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत दुबग्गा स्थित होटल के सामने आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा द्वारा लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन से कार सं0 यू0पी0 32 एल0एक्स0 1363 चलाया, जिससे वादी मुकदमा गोविन्द कुमार का जीवन संकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा ने वादी मुकदमा गोविन्द कुमार को मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा ने वादी मुकदमा गोविन्द कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा ने वादी मुकदमा गोविन्द कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा ने वादी मुकदमा गोविन्द कुमार को अनुसूचित जाति का सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त छोटू मिश्रा उर्फ रावेन्द्र मिश्रा ने वादी मुकदमा गोविन्द कुमार जो कि अनुसूचित जाति के सदस्या है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025